प्रेस विज्ञप्ति

18.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना ज़ोनल कार्यालय ने सागर यादव व उसकी सहयोगी कंपनियों, मेसर्स स्क्रैपिक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स कैसानोवस रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, जो दोनों कोलकाता स्थित हैं, से जुड़े फर्जी कॉल सेंटरों से संबंधित एक अंतर-राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **2.83 करोड़ रुपये (लगभग)** मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में भूखंड, फ्लैट, सावधि जमा आदि शामिल हैं।

ईडी ने आयरलैंड की नागरिक सुश्री कार्मेल फॉक्स के साथ साइबर धोखाधड़ी की ईडी कार्यालय को नैशनल सेंट्रल ब्यूरो (एनसीबी)- भारत (सीबीआई) की सूचना, जिसने एनसीबी-आयरलैंड से प्राप्त दिनांक 07.04.2023 की सूचना को आगे बढ़ाया, के आधार पर मामले की जाँच शुरू की। चूंकि अपराध विदेश में किया गया था और बाद में अपराध की आय (पीओसी) भारत में स्थानांतरित कर दी गई थी इसीलिए ईडी, पटना ज़ोनल कार्यालय ने इस मामले में पीएमएलए, 2002 की धारा 2(1) (आरए) में परिभाषित "सीमा पार निहितार्थ" के अपराध की श्रेणी के तहत ईसीआईआर दर्ज करके जाँच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि व्यक्तियों का एक समूह फर्जी कॉल सेंटर स्थापित करके विदेशी नागरिकों पर साइबर धोखाधड़ी के कृत्य कर रहा था और साइबर धोखाधड़ी के ऐसे कृत्यों के माध्यम से उत्पन्न पीओसी को वेस्टर्न यूनियन / मनीग्राम , रिवायर, रेमिटली के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से भारत में लाया गया था और फिर लेंडेन क्लब, लेंडबॉक्स, लिक्विलोन्स आदि जैसे ऐप के माध्यम से धन शोधन के लिए इस्तेमाल किया गया था। ईडी ने सागर यादव सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और सागर यादव, उनकी संस्थाओं और उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत और दो पूरक अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं।

आगे की जाँच से पता चला कि मेसर्स स्क्रैपिक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स कैसानोवस रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दो अचल संपत्तियाँ खरीदी गईं, जिनका विक्रय मूल्य पीओसी के माध्यम से चुकाया गया। इन अचल संपत्तियों की कीमत लगभग ₹2.67 करोड़ है और इन्हें अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया गया है। लगभग ₹15.75 लाख मूल्य की चल संपत्तियाँ, जो सावधि जमा (एफडी) के रूप में हैं, को भी अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

आगे की जांच जारी है।